



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 09 / 2025

दायर दिनांक 24.01.2025

अनवान

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादी

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
2. प्यारीदेवी पत्नि सुगनालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्यारीदेवी पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
4. प्रेमबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
5. भवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. सज्जनीबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
8. सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
9. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री अनिल कुमार धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4, 5, 7, 8

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



-: निर्णय :-

दिनांक :- 23 / 12 / 2025

वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.09.2025 को प्राथमिक डिक्री इस

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी

आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 177 पर स्थित आराजी नम्बर 89 रकबा 0.2266 हैक्टेयर भूमि में वादी का 5/48 हिस्से को खाता संख्या 178 पर स्थित आराजी नम्बर 86 रकबा 0.1214 है0, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.0324 है0, आराजी नम्बर 88 रकबा 0.1214 है0, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.0324 है0, आराजी नम्बर 88 रकबा 0.1295 है0 कुल किता 3 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/8 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/2028 दिनांक 12.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादी की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू	कल्याणपुरा	86/1 88/1	0.0168 0.0186
	योग		किता 02	0.0354
02	प्यारीदेवी पत्नि सुगनालाल हिस्सा 8/21 जाति धाकड़ सा0 देह भंवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र हिस्सा 8/21 जाति धाकड़ सा0 देह शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ हिस्सा 5/21 धाकड़ सा0 देह	कल्याणपुरा	86/2 87 88/2	0.1046 0.0324 0.1109
	योग		किता 03	0.2479
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू	कल्याणपुरा	89/1	0.0236
	योग		किता 01	0.0236
02	प्यारीदेवी पत्नि सुगनालाल हिस्सा 16/43 जाति धाकड़ सा0 देह भंवरीदेवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 16/43 सा0 फतहनगर देह शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ हिस्सा 11/43 जाति धाकड़ सा0 देह	कल्याणपुरा	89/2	0.2030
	योग		किता 03	0.2030



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

गूल वाद में डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 09/2025

दायर दिनांक 24.01.2025

अनवान

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

- कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
- प्यारीदेवी पत्नि सुगनालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- प्यारीदेवी पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
- प्रेमबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
- भंदरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- सज्जनीबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
- सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
- शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)
- भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... मदयूनान



वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 23 / 12 / 2025

डिक्री दिनांक : 23 / 12 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री अनिल कुमार धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4, 5, 7, 8 श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा० देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू	कल्याणपुरा	86/1 88/1	0.0168 0.0186
	योग		किता 02	0.0354
02	प्यारीदेवी पत्नि सुगनालाल हिस्सा 8/21 जाति धाकड़ सा० देह भंवरीदेवी पत्नि रमेशचन्द्र हिस्सा 8/21 जाति धाकड़ सा० देह शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ हिस्सा 5/21 धाकड़ सा० देह	कल्याणपुरा	86/2 87 88/2	0.1046 0.0324 0.1109
	योग		किता 03	0.2479
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा० देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू	कल्याणपुरा	89/1	0.0236
	योग		किता 01	0.0236
02	प्यारीदेवी पत्नि सुगनालाल हिस्सा 16/43 जाति धाकड़ सा० देह भंवरीदेवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 16/43 सा० फतहनगर देह शिवलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ हिस्सा 11/43 जाति धाकड़ सा० देह	कल्याणपुरा	89/2	0.2030
	योग		किता 03	0.2030

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत
Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 12 वर्ष 2025 को जारी किया गया।



लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिक्रोलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 03

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रुपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 23/12/2025 को मुर्तिब की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद्द	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां